भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 286

(दिनांक 24.07.2024 को उत्तर देने के लिए)

भारत के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट

286. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भारत के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संस्करण में जिन 180 देशों पर विचार किया गया उनमें भारत का स्थान 159वां है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निहित वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में एक मजबूत और समृद्ध प्रेस है। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि वर्ष 2014-15 से आज तक पिछले 10 वर्षों के दौरान, पंजीकृत पत्रिकाओं की संख्या 43.9% बढ़कर 1,05,443 से 1,51,734 हो गई है। इसी तरह, इस अवधि के दौरान प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों की संख्या भी 821 से बढ़कर 910 हो गई है, जिसमें 393 समाचार चैनल शामिल हैं।

प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत एक सांविधिक स्वायत्त निकाय, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना की गई है। पीसीआई, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 13 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने, पत्रकारों पर शारीरिक हमला/आक्रमण आदि से संबंधित 'प्रेस द्वारा' दर्ज की गई शिकायतों पर विचार करती है। पीसीआई को प्रेस की स्वतंत्रता और इसके उच्च स्तर को बनाए रखने से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने का भी अधिकार है।

इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेस की स्वतंत्रता केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत एक स्व-विनियामक तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल उनके द्वारा प्रसारित सामग्री के संबंध में कार्यक्रम संहिता का पालन करेंगे। केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 में प्रावधान है कि कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का समाधान तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र द्वारा किया जाएगा। साथ ही, डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों की सामग्री के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में ऐसे प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता निर्धारित की गई है।

केंद्र सरकार पत्रकारों सहित देश के प्रत्येक नागरिक की संरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देती है। गृह मंत्रालय द्वारा 20 अक्टूबर 2017 को विशेष रूप से पत्रकारों की सुरक्षा पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाइजरी जारी की गई, जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें उनसे मीडियाकर्मियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया गया है।

कुछ संगठनों ने बहुत कम नमूना आकार और हमारे देश और इसके जीवंत लोकतंत्र की बहुत कम या बिल्कुल समझ न होने के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। ऐसे संगठन और उनकी कार्यप्रणाली संदेहास्पद है और विश्वसनीय नहीं हैं।

****